



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्रमांक: ८सी/४४/१९९-एफसीडब्ल्यू/६२,

शेत्रीय कार्यालय, पश्चिम भारत
Regional Office, Western Region
E-3/240, अरेरा कालोनी/Arera Colony,
भोपाल (मध्यप्रदेश)/Bhopal-462016 (M.P.)
दूरभाष /Phone: 466525, 465496, 465054
फैक्स /Fax: 0755-463102
तार/Telegram: CENTFOREST
अणुडाक/E-mail: rccfwr@sancharnet.in

ठिकाना: ०९-१-२००३,

प्रति,

एचएन भर्तीब,
मध्यप्रदेश शासन,
मध्यप्रदेश विभाग,
वल्लभ भवन,
भोपाल ।

विषय: गुना जिले में सुमेरी जलाशय के निर्माणार्थ जल संसाधन विभाग द्वारा 19.80 हेक्टेक्टर वनभूमि की उपयोगार्थ मांग ।

- संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक ८सी/४४/१९९-एफसीडब्ल्यू/२३५ दिनांक २५.१.२००२
2. मु०व०स०(भू-सर्वे),म०प्र० का पत्रांक एफ-३/४४/१९८०/१०/११/३९८१ दिनांक- २६.१२.२००२

महोदय,

कृपया अपने उक्त विषयक पत्रांक एफ-५/३३/१९९/१०/३ दिनांक २६.०७.१९९९ का संदर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा-२ के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (१) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (२) द्वारा नोडल अधिकारी, म०प्र० शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से गुना जिले में सुमेरी जलाशय के निर्माणार्थ जल संसाधन विभाग द्वारा 19.80 हेक्टेक्टर वनभूमि के बनेतर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा-२ के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

प्रमाणित	प्रमाणित
(प्रमाणित विभाग का संकेत)	(प्रमाणित विभाग का संकेत)
१५/१०३	१५/१०३
मार्च २००३	मार्च २००३

२ पर

उपयोगकर्ता के खर्च पर 19.80 हैं गैर वनभूमि (सर्वे
तहसील राघोगढ़, जनपद गुना) पर इस पत्र के निर्गत होने के दो
वृक्षारोपण किया जाएगा ।

3. इस गैर वनभूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा ।
4. उपयोगकर्ता द्वारा अपने व्यय पर एच.एफ.एल. एवं वनसीमा के बीच रिक्त
किया जायेगा ।
5. वानिकी कार्यों हेतु वनविभाग को आवश्यकतानुसार जल निःशुल्क प्रदाय किया
6. वृक्षों की कटाई FRL-4M क्लैप छोड़ के नीचे तक सामत रखी जायेगी ।
7. उपयोगकर्ता द्वारा अपने व्यय पर नार के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जायेगा ।
8. वनभूमि का उपयोग प्रत्यावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं
9. राज. सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई भी शर्त ।

भवा

(डा० एस०पी० श्री
वन संरक्षक

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ०सी०) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स,
रोड, नई दिल्ली ।
2. सचिव, म०प्र० शासन, जल संसाधन वन, भोपाल ।
3. मुख्य वन संरक्षक एवं →
म०प्र० शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
4. प्रमुख अधिकारी
5. ना
- 6.

(डा० एस०पी० श्रीवास्तव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

CC/100
10/202

205
37/2